

सर्वोच्च न्यायालय ने PMLA मामलों में ED की गरिफ्तारी की शक्तियों को सीमति कथिा

प्रलिमिंस के लयि:

[सर्वोच्च न्यायालय, मनी लॉन्ड्रगि, मनी लॉन्ड्रगि रोकथाम अधनियिम, 2002, प्रवरतन नदिशालय, नारकोटकि डरगस एंड साइकोट्रॉपकि सबसर्टेस एक्ट. \(NDPS\) 1985, प्रवरतन मामले की जानकारी रपिर्ट, वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियिम, 1999](#)

मेन्स के लयि:

मनी-लॉन्ड्रगि रोकथाम अधनियिम (PMLA), सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय और उसके प्रभाव, भारत की वधिायी और नयिमक संरचना सभी प्रकार की मनी लॉन्ड्रगि को रोकने के लयि साथ मलिकर कारय करती है ।

[स्रोत: द हदि](#)

चर्चा में कयों?

[सर्वोच्च न्यायालय](#) के एक हालयि नरिणय के अनुसार, [वशिष न्यायालय](#) द्वारा [धन शोधन नवरिण अधनियिम \(PMLA\)](#) के आधार पर प्रसृतुत आरोप-पत्र प्रापत होने के बाद [प्रवरतन नदिशालय \(ED\)](#) गरिफ्तारी करने में सक्षम नहीं है ।

- नरिणय ED की गरिफ्तारी करने की शक्ति को सीमति करता है और व्यक्तगित स्वतंत्रता पर ज़ोर देता है ।

PMLA के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का हालयि नरिणय कय है?

- **प्रश्नगत प्रावधान:** यह नरिणय ED के वरिद्ध एक अपील से उपजा है, जसिमें [अग्रमि ज़मानत](#) नहीं देने वाले पंजाब और हरयिणा उच्च न्यायालय के नरिणय को चुनौती दी गई थी ।
 - इस मामले में इस बात की जाँच की गई कयिा कोई आरोपी [दंड प्रकरयिा संहति \(CrPC\)](#) के नयिमति प्रावधानों के तहत ज़मानत के लयि आवेदन कर सकता है और यदहिाँ, तो कयिा ऐसी ज़मानत याचकिा को PMLA की धारा 45 के तहत दो शर्तों को पूरा करना होगा ।
 - न्यायालय ने इस बात पर भी वचिर कयिा कयिा **PMLA जाँच के दौरान गरिफ्तार नहीं** कयि गए आरोपयिों को कठोर PMLA ज़मानत शर्तों को पूरा करना होगा यदविे समन के बाद न्यायालय में पेश होते हैं या उनके **उपस्थति होने में वफिलता के लयि वारंट जारी कयिा गया है** ।

सर्वोच्च न्यायालय की टपिणयिाँ:

- **समन पर उपस्थति होने वाले अभयिुक्तों की स्थति:** यदकिा कोई आरोपी कसिी समन के अनुसार नरिदषिट वशिष न्यायालय के समक्ष पेश होता है, तो उसे **हरिसत में नहीं माना जा सकता** है और इसलयि उसे PMLA द्वारा लगाई गई कठोर शर्तों के अंतगत ज़मानत के लयि आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।
 - ED को कसिी आरोपी के न्यायालय में पेश होने के बाद उसकी हरिसत के लयि अलग से आवेदन करना होगा, जसिमें हरिसत **मूछताछ की आवश्यकता के लयि वशिषिट आधार दर्शाने** होंगे ।
 - स्वतंत्रता की यह परकिलपना व्यक्तगित स्वतंत्रता के **मौलकि अधिकार की रक्षा की दशिा में एक महत्त्वपूर्ण कदम** है ।
- **बॉण्ड/ज़मानत की वशिषताएँ:** आपराधिक प्रकरयिा संहति की धारा 88 के अनुसार, वशिष न्यायालय **अभयिुक्त को बॉण्ड या ज़मानत या गारंटी प्रादान करने का आदेश दे सकता है** ।
 - हालाँकि यह ज़मानत, बॉण्ड देने के समान नहीं है और यह PMLA की धारा 45 में उल्लखिति सटीक दोहरी आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन नहीं है ।
- **क्रमकि गरिफ्तारी प्रकरयिा:** यदअभयिुक्त समन के बावजूद न्यायालय में उपस्थति नहीं होता है, तो वशिष न्यायालय **ज़मानती (जहाँ ज़मानत प्रापत की जा सकती है) वारंट जारी कर सकता है** ।
 - यदअभयिुक्त फरि भी पेश नहीं होता है, तो न्यायालय गैर-ज़मानती वारंट (बनिा ज़मानत के गरिफ्तारी) जारी कर सकता है ।
- **गैर-अभयिुक्त पक्षों की गरिफ्तारी:** ED उस व्यक्त को भी गरिफ्तार कर सकती है जसिे प्रारंभकि PMLA शकियत में आरोपी के रूप में नामति

नहीं किया गया है।

- हालाँकि ऐसा करने के लिये ED को PMLA की धारा 19 में उल्लिखित गरिफ्तारी की उचित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

PMLA के तहत जमानत की दोहरी शर्तें क्या हैं?

PMLA की धारा 45 के तहत दोहरी शर्तें हैं:

- **नरिदोषता साबति करना** यह कठोर जमानत की शर्तों को आरोपित करता है, जिसमें अभियुक्त को अपनी नरिदोषता साबति करने की आवश्यकता होती है।
- **यह सुनिश्चित करना कि जमानत पर रहते हुए कोई अपराध न हो:** अभियुक्त को न्यायाधीश को यह विश्वास दिलाने में सक्षम होना चाहिये कि वह जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा।
 - सबूत का भार पूरी तरह से जेल में बंद अभियुक्त पर है।
 - ये दोहरी स्थितियाँ किसी अभियुक्त के लिये PMLA में जमानत पाना लगभग असंभव बना देती हैं।

PMLA क्या है?

- **परिचय:** [मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 \(Prevention of Money Laundering Act- PMLA\)](#) को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की ज़बती का प्रावधान करने के लिये अधिनियमित किया गया था।
 - इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी और [आतंकवाद के वित्तपोषण](#) जैसी अवैध गतिविधियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना है।
- **PMLA के प्रमुख प्रावधान:**
 - **अपराध और दंड:** PMLA मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों को परिभाषित करता है और ऐसी गतिविधियों के लिये जुर्माना लगाता है। इसमें अपराधियों के लिये कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
 - मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित धन को वैध प्रतीत होने वाले धन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है।
 - **संपत्ति की कुरकी और ज़बती:** यह अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल **संपत्ति की कुरकी और ज़बती** की अनुमति देता है। यह इन कार्यवाहियों की निगरानी के लिये एक **नरिणायक प्राधकिरण** की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - **रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ:** PMLA कुछ संस्थाओं, जैसे- **बैंकों और वित्तीय संस्थानों** को लेन-देन के रिकॉर्ड बनाए रखने और **वित्तीय खुफिया इकाई (Financial Intelligence Unit- FIU)** को संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करने का आदेश देता है।
 - **अपीलीय न्यायाधकिरण:** PMLA की धारा 25 एक अपीलीय न्यायाधकिरण की स्थापना का प्रावधान करती है, जिसे नरिणायक प्राधकिरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति प्राप्त है।
- **PMLA से संबंधित हालिया संशोधन:**
 - **धन शोधन नविवरण (ज़बत संपत्ति की बहाली) संशोधन नयिम, 2019:**
 - **नए नयिम 3A का समावेशन:** इसके तहत विशेष न्यायालय समाचार-पत्रों में नोटिस प्रकाशित कर सकता है जिसमें आरोप तय करने के बाद ज़बत/फ्रीज़ की गई संपत्ति में वैध हति वाले दावेदारों को बहाली के लिये अपने दावों को स्थापित करने के लिये कहा जा सकता है।
 - **धन शोधन नविवरण (अभलिखों का रखरखाव) संशोधन नयिम, 2023:** वित्त मंत्रालय ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों या मध्यस्थों जैसी रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के लिये प्रकटीकरण आवश्यकताओं का विस्तार करने के लिये धन शोधन नयिमों को संशोधित किया है।
 - इसने **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** की सफिराशियों के अनुरूप धन शोधन नविवरण अधिनियम (PMLA) के तहत **"राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों"** की परिभाषा को भी स्पष्ट किया है।
 - नए PMLA अनुपालन नयिम **"राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों" (PEP)** को ऐसे व्यक्तियों जैसे किराज्य के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता और उच्च रैंक की वाली सरकार, न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी-स्वामित्व वाले नयिम तथा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें किसी बाह्य देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्यों के लिये सौंपा गया है।
- **PMLA, 2002 से संबंधित चित्ताएँ:**
 - **अपराध के आगम की व्यापक परिभाषा:** PMLA में **"अपराध के आगम"** की व्यापक परिभाषा पर बहस छड़ी गई है, जिसमें कानूनी वित्तीय संव्यवहार को शामिल करने की इसकी क्षमता के बारे में चित्ताएँ हैं।
 - कानून उन लोगों को लक्षित करता है जो अपराध से प्राप्त धन को वैध बनाने में शामिल हैं, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जवाबदेह ठहराया गया है जिनकी अपराध में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है लेकिन जो शोधन प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
 - **कई अपराधों का कवरेज:** PMLA में ड्रग को प्राप्त धन के शोधन से निपटने के अपने मूल उद्देश्य से असंबंधित कई अपराधों को अपनी अनुसूची में शामिल किया गया है।
 - **संयुक्त राष्ट्र** के जिस प्रस्ताव के कारण भारत में कानून लागू हुआ, उसमें केवल नशीली दवाओं से प्राप्त धन को वैध बनाने के अपराध का उल्लेख किया गया था, जिसे विश्व अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने और राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने की क्षमता वाला एक गंभीर आर्थिक अपराध माना गया था।
 - **गरिफ्तारी के आधार के लिये लिखित सूचना के बिना व्यक्त की गरिफ्तारी:** प्रवर्तन नदिशालय के अधिकारियों ने गरिफ्तारी के लिये

केवल मौखिक सूचना पर भरोसा करके संविधान के [अनुच्छेद 22\(1\)](#) और 2002 PMLA की धारा 19(1) का लगातार उल्लंघन किया है, जिससे अपर्याप्त माना जाता है।

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूज़कलक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की रहिाई का आदेश दिया, गैरकानूनी गतविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत उनकी गरिफ्तारी को अमान्य करार दिया, संविधान के अनुच्छेद 22(1) का हवाला देते हुए कहा गया है क गरिफ्तार व्यक्तियों को उनकी गरिफ्तारी के आधार के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिये।

भारत में ज़मानतीय और गैर-ज़मानतीय अपराध क्या हैं?

अपराध का प्रकार	विवरण	उदहारण
ज़मानतीय	कम गंभीर अपराध, जहाँ आरोपी को नरिदोष माना जाता है और वह ज़मानत पर रहिा होने का हकदार होता है।	छोटी-मोटी चोरी, यातायात नयिर्मों का उल्लंघन, साधारण हमला
गैर-ज़मानतीय	अधिक गंभीर अपराध, जहाँ न्यायालय को वशिषिट मानदंडों के आधार पर ज़मानत देने का वविकाधिकार होता है।	हत्या, बलात्कार, अपहरण, आगजनी

आगे की राह

- "अपराध के आगम" (Proceeds of Crime) की एक स्पष्ट परिभाषा को शामिल करना: PMLA के अंतर्गत "अपराध के आगम" शब्द के दुरुपयोग को रोकने के लिये एक अधिक सटीक परिभाषा को अपनाना आवश्यक है।
 - इसमें अपराधों के प्रकार और उन परत्यक्ष या अपरत्यक्ष तरीकों को नरिदषिट करना शामिल होगा जनिसे आय प्राप्त की जा सकती है, जिससे अधिकारियों द्वारा मनमानी व्याख्या की गुंजाइश कम हो जाएगी।
- प्रमाण के दायित्व को संशोधित करना: मौजूदा ढाँचा अभयिक्तों पर अपनी संपत्ति की वैधता साबति करने का अत्यधिक भार डालता है।
 - अभयिजन और बचाव पक्ष के बीच प्रमाण के भार का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिये इस पहलू को संशोधित करने से एक नषिपक्ष कानूनी प्रकरयिा को बढ़ावा मलि सकता है।
 - इसमें उन न्याय कषेत्रों से प्रथाओं को अपनाना शामिल हो सकता है जहाँ नरिदोषता का अनुमान अधिक मज़बूती से संरक्षित है।
- स्वतंत्र नरिीक्षण तंत्र की स्थापना: PMLA के तहत कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अतरिक से बचाव के लिये स्वतंत्र नरिीक्षण नकियों की स्थापना करने हेतु अनुशंसा की गई है।
 - ये नकिय प्रवर्तन काररवाइयों की समीक्षा और नगरिानी करेंगे ताकयिह सुनिश्चित किया जा सके क ये कानूनी मानकों का अनुपालन करते हैं तथा मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अनुपालन को बढ़ावा देना: धन शोधन की वैश्विक प्रकृति को देखते हुए PMLA प्रावधानों के कारयान्वयन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।
 - इसमें भारत के PMLA को वत्तीय काररवाई कार्य बल (Financial Action Task Force- FATF) जैसे नकियों द्वारा नरिधारति अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखति करना और इसकी अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है।
- तकनीकी प्रगत को शामिल करना: धन शोधन गतविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से PMLA को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
 - इसमें वत्तीय लेन-देन का वशि्लेषण करने और धन शोधन के संकेत देने वाले संदिग्ध प्रतरिूपों की पहचान करने के लिये कृत्रमि बुद्धमितता और मशीन लरनिग टूल का उपयोग शामिल हो सकता है।

दृष्टमिेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धन शोधन नविरण अधिनियम की हालयिा व्याख्या पर चर्चा कीजयिे, जिसमें व्यक्तगत स्वतंत्रता तथा प्रवर्तन नदिशालय की शक्तियों पर इसके नहितिरथ पर ध्यान केंदरति किया गया है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

2021

प्रश्न. चर्चा कीजयिे क किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्वीकरण मनी लॉन्डरगि में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्डरगि की समस्या से नषिटने के लिये कयि जाने वाले उपायों को वसितार से समझाइए। (2021)

